रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2014/चैत्र 7, 1936
No. 99] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2014/CHAITRA 7, 1936

IndiaCode

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2014

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2014

फा. सं. सीसीआई/सीडी/संशो./संयो.विनि./2014.—भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2014 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) विनियम, 2011 में,—

(1) विनियम 9 में, उपविनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

" (5) इन विनियमों के विनियम 5 के अधीन सूचना फाइल करने की अपेक्षा का अवधारण संव्यवहार की अंतर्वस्तु के संबंध में किया जाएगा और किसी संयोजन में अंतर्विष्ट संव्यवहार (संव्यवहारों) की किसी ऐसी संरचना को, जिसका प्रभाव इस प्रकार है कि संपूर्ण संयोजन या उसके किसी भाग के संबंध में सूचना की अपवंचना की जा सकती है तो उसे ध्यान में नहीं रखा जाएगा ।";

(2) विनियम 11 में,—

(क) खंड (क) में, "केवल दस लाख रुपए (10,00,000 रुपए)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

" केवल पंद्रह लाख रुपए (15,00,000 रुपए) ;";

(ख) खंड (ख) में, "केवल चालीस लाख रुपए (40,00,000 रुपए)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"केवल पचास लाख रुपए (50,00,000 रुपए) ;";

(3) विनियम 14 के उप-विनियम (3) में "विनियम 8 के अधीन सूचना में अंतर्विष्ट जानकारी या दस्तावेज (दस्तावेजों)" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"या इन विनियमों के अनुसरण में फाइल किए गए किसी प्रत्युत्तर";

(4) विनियम 29 का लोप किया जाएगा;

(5) अनुसूची 1 में, प्रवर्ग (10) का लोप किया जाएगा;

(6) अनुसूची 2 में,

(क) प्ररूप 1 में,

(i) पैरा 5.1 में खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(च) संयोजन के पक्षकारों के कारबार के बीच कोई अनुप्रस्थ अंशधारण या अनुलंब व्यवस्थाएं (जिसके अंतर्गत लक्ष्यित कंपनी और अर्जनकर्ता या समूह का कोई उद्यम भी है) " ;

(ii) पैरा 6.7 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"6.8 क्या यह संयोजन भारत से भिन्न अधिकारिताओं में फाइल करने संबंधी अपेक्षाओं के अध्यधीन है? यदि हां, तो अधिसूचित की गई अथवा की जाने वाली अधिकारिताओं की सूची, उस अधिकारिता में पारित आदेश (आदेशों)/निर्णय (निर्णयों) की प्रमाणित प्रति (प्रतियों) के साथ प्रस्तुत करें ।" ;

(ख) प्ररूप 2 में,—

(i) पैरा 8.2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:—

" 8.2 संयोजन के सभी पक्षकारों के लिए ठीक पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों के संपरीक्षित वार्षिक लेखाओं के अनुसार निम्नलिखित ब्यौरे पृथक् रूप से प्रस्तुत करें :

उद्यम (उद्यमों) का नाम	वर्ष	आस्तियों का मूल्य		सकल आवर्त	
		भारत में (करोड़ रुपए में)	विश्व भर में (मिलियन अमरीकी डालर में)	भारत में (करोड़ रुपए में)	विश्व भर में (मिलियन अमरीकी डालर में)";

(ii) 'सत्यापन' शीर्ष के अधीन "महत्वपूर्ण : सभी संयोजनकारी पक्षकारों को इसकी अंतर्वस्तु का, इस प्ररूप के प्रत्येक पृष्ठ और इस पृष्ठ पर हस्ताक्षर करके सत्यापन करना चाहिए" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

स्मिता झींगरन, सचिव

[विज्ञापन III/4/असाधा./187—एम/13]

टिप्पण :—मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 11 मई, 2011 में अधिसूचना सं. एफ.सं.1-1/संयोजन विनियम/2011-12/सीडी/सीसीआई द्वारा प्रकाशित किया गया था । तत्पश्चात् इसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 23 फरवरी, 2012 में प्रकाशित अधिसूचना सं. एफ. सं.3-1/ संशो./संयो.विनि/2012/सीडी/सीसीआई द्वारा और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 4 अप्रैल, 2013 में प्रकाशित अधिसूचना सं. एफ. सं.3-1/ संशो./संयो.विनि/2013/सीडी/सीसीआई द्वारा संशोधित किया गया था ।

IndiaCode

THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2014

The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2014

F. No. CCI/CD/Amend/Comb. Regl./2014.—In exercise of the powers conferred by Section 64 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Competition Commission of India hereby makes the following regulations further to amend the Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Regulations, 2011, namely:—

1. **Short title and commencement.—**

(1) These regulations may be called the Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Regulations, 2011,—

(1) in regulation 9, after sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

"(5) The requirement of filing notice under regulation 5 of these regulations shall be determined with respect to the substance of the transaction and any structure of the transaction(s), comprising a combination, that has the effect of avoiding notice in respect of the whole or a part of the combination shall be disregarded.";

(2) in regulation 11,—

(a) in clause (a), for the words, brackets and the figures "rupees ten lakhs (Rs. 10,00,000) only;", the following shall be substituted, namely:-

"rupees fifteen lakhs (Rs. 15,00,000) only;";

(b) in clause (b), for the words, brackets and the figures "rupees forty lakhs (Rs. 40,00,000) only;", the following shall be substituted, namely:—

"rupees fifty lakhs (Rs. 50,00,000) only;";

(3) in regulation 14, in sub-regulation (3), after the words "regulation 8 of these regulations", the following words shall be inserted, namely:—

"or any response filed pursuant to these regulations";

(4) regulation 29 shall be omitted;

(5) in Schedule I, category (10) shall be omitted;

(6) in Schedule II,—

(a) in Form I,

(i) in paragraph 5.1, for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:—

"(f) any horizontal overlap or vertical relationship between the business of the parties to the combination (including between target company and acquirer or any enterprise of the group)";

(ii) after paragraph 6.7, the following paragraph shall be inserted, namely:—

"6.8 Whether this combination is subject to filing requirements in jurisdictions other than India? If yes, list the notified, or to be notified, jurisdictions along with the certified copy(s) of the order(s)/decision(s) passed in that jurisdiction.";

(b) in Form II,—

(i) for paragraph 8.2, the following paragraph shall be substituted, namely:—

" 8.2 Furnish the following details, as per audited annual accounts of immediately preceding two financial years, separately, for all the parties to the combination:

IndiaCode

Name of enterprise(s)	Year	Value of assets		Aggregate Turnover	
		In India (Rs. In crore)	Worldwide (US$ in Million)	In India (Rs. In crore)	Worldwide (US$ in Million)";

(*ii*) under the heading 'VERIFICATION', the words "IMPORTANT: ALL COMBINING PARTIES MUST VERIFY THE CONTENTS BY SIGNING ON EACH PAGE OF FORM AND ON THIS PAGE" shall be omitted.

SMITA JHINGRAN, Secy.

[ADVT. III/4/Exty./187-M/13]

Note :—Principal Regulations published *vide* Notification No. F. No. 1-1/ Combination Regulations/2011-12/CD/CCI in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 11th May, 2011. Subsequently amended *vide* notification No. F. No. 3-1/Amend/Comb. Regl./2012/CD/CCI in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 23rd February, 2012 and *vide* notification No. F. No. 3-1/Amend/Comb. Regl./2013/ CD/CCI in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated 4th April, 2013.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.